रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2010/वैशाख 14, 1932
No. 837] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2010/VAISAKHA 14, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2010

का.आ. 1002(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बैटरी (प्रबंधन और हथालन) संशोधन नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) प्रपुंज उपभोक्ता से केन्द्रीय सरकार के रेल, रक्षा, दूरसंचार, डाक तथा तार जैसे विभागों राज्य सरकार के विभागों उपक्रमों, बोर्डों तथा अन्य अभिकरणों या कंपनियों जैसे ऐसे उपभोक्ता अभिप्रेत हैं, जो प्रतिवर्ष एक सौ या एक सौ से अधिक बैटरियां क्रय करते हैं" ।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में,—

(i) उप-नियम (xi) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(xii) यह सुनिश्चित करें कि नई बैटरियां केवल रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को ही बिक्रीत की जाएंगी ।"

(ii) इस प्रकार अंत:स्थापित उप-नियम (xii) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण** :—समायोजकों तथा मरम्मतकर्ताओं को ऐसे दायित्वों की परिधि से अपवर्जित किया गया है जो उप-खंड (iv), उप-खंड (vii), उप-खंड (ix) तथा (xii) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. **अयात कर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण.**—(i) अयातकर्ता प्ररूप 1 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रजिस्टर करेगा और उक्त नियमों के अनुसार अपेक्षित संख्या में प्रयुक्त बैटरियों के संग्रहण में असफलता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक प्रति सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समय पर अर्धवार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए रद्दकरण, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का उपबंध अनुपालन प्रास्थिति के अनुसार होगा :

परन्तु आयातकर्ता प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो;

(ii) कोई अपील, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पदानिहित किसी